अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

17 15.09.2023	न्यायालय उपायुक्त, राँची दाखिल–खारीज पुनरीक्षण वाद सं० 52 आर० 15/2021–22 चित्रलेखा कुमारी पति मनोज कुमार सिंह पिता राम कृपाल सिंह, निवासी ग्राम अरक, दक्षिणी टोलो,, थाना कृष्णा ब्राहम, जिला बक्सर (बिहार)...... प्रार्थी बनाम राज्य .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं० आर० 244/2020–21 मे पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत्त विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची ने उत्तरवादी के द्वारा अँचल अधिकारी नामकुम के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० आर० 7631/2019–20 मे दिनांक 24.02.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी नामकुम के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं० 244 आर० 27/2020–21 मे पारित आदेश को निरस्त करते हुए उक्त वाद मे संबंधित पक्षकारो को पर्याप्त अवसर देते हुए उनके द्वारा समर्पित दस्तवेजों की गहन जॉच कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने के निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है। विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से इस पुनरीक्षण वाद मे अग्रेतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी विगत कई	

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

तिथियों से इस पुनरीक्षण वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस पुनरीक्षण वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव मे समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 02:05:36 -08:00
Location: 192.168.1.4